

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(53/89)/(लिक नं.-5146)/अलेसे -III/348

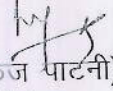
दिनांक :- 23-6-16

आदेश

श्री श्रवण कुमार कनिष्ठ लेखाकार (लिक नं.-5146) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17204/2015 माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के अनुसार याची का अभ्यावेदन नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17204/2015 में दिनांक 24.11.2015 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निलम्बन अवधि (दिनांक 25.01.2002 से 25.04.2012 तक) बकाया वेतन वृद्धियां, चयनित वेतनमान एवं समस्त बकाया लाभ स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2015 का परीक्षण किया गया। याची श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, झुंझुनु में पदस्थापन अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान राशि से अधिक राशि का भुगतान दर्शाकर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाये जाने के कारण भ्रष्टाचार ब्यूरो द्वारा अपराध संख्या 202/99 दर्ज करने एवं विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने पर विभागीय आदेश क्र. 1364-72 दिनांक 25.01.2002 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था। दिनांक 24.04.2012 को विभागीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा इन्हें निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 482-90 दिनांक 25.04.2012 के द्वारा श्री श्रवण कुमार की निलम्बन अवधि को माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए इन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया गया था।

श्री श्रवण कुमार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण विचाराधीन हैं। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम सं. 54 के नीचे दिये गये राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार जब तक याची को विभागीय जांच में दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक निलम्बन अवधि को कर्तव्य पर नहीं माना जा सकता तथा जब तक माननीय न्यायालय द्वारा निलम्बन अवधि का निर्णय नहीं हो जाता तब तक निलम्बन अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जा सकता। अतः याची श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने तक तथा विभागीय जांच के निर्णयानुसार निलम्बन अवधि की वेतन वृद्धियां एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्तानुसार श्री कुमार का अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(55/89)/(लिक नं.-5146)/अलेसे -III/348

दिनांक :- 23-6-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा।
3. श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (लिक नं.-5146) द्वारा उपकोष कार्यालय सिवाना (बाड़मेर)
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. ☒ कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)